

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपहरण के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष काठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर दिनांक 05.08.2020 को समय 14.14 बजे थाना अमेठी पर मु0अ0सं0 369/2020 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 10.04.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-12 पॉक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को **05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी** । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
- अभियुक्त को अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ मो0 वाहिद पुत्र गुसा अंसारी निवासी रामनगर थाना व जनपद अमेठी ।

एडीजीसी श्री रवीन्द्र
प्रताप सिंह

पैरोकार हे0का0 मनोहर
लाल चौधरी



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी